उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-93/2018/1820/92-2-18-66जॉच/2015,

लखनऊ:: दिनांक:: 16 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2013-14 में जनपद चित्रकूट के 22 चयनित ग्रामों में से 12 ग्रामों के कार्यों हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति में सीमेंट की दरों में अधिक दरें स्वीकृत करने के कारण परिलक्षित रू0 5,94,273.00 की शासकीय क्षति के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-28/2016/1215/92-2-16-66(जांच)/2015, दिनांक 29.06.2016 द्वारा श्री नियाज अहमद, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किये गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री नियाज अहमद अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्क्रम में शासन के कायार्लय ज्ञाप दिनांक 29.06.2016 द्वारा श्री नियाज अहमद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2017/215/92-2-17-66(जांच)/2015, दिनांक 03.02.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 03.08.2016 द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद को तामील कराकर कर तामीली रसीद उपलब्ध करायें, जिसके क्रम मे उनके द्वारा दिनांक 28.09.2016 को तामीली रसीद उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी ने अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को दिनांक 05.10.2016 को उपलब्ध कराया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 28.12.2016 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 18.05.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में प्रमाणित आरोप निम्नवत है:-

प्रखण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 22 ग्रामों को सी0सी0 रोड निर्माण कार्य हेतु चयनित किया गया था। उनके द्वारा जिनमें से 12 ग्रामों के निर्माण कार्यों हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय को प्रेषित किये गये थे, जिनमें सीमेंट की दरें शिड्यूल दरों से अधिक देते हुए शासकीय क्षति पहुंचाई गई जबकि शेष 10 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम में उनके द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में शिड्यूल की ही दरें लगायी गयी है। इस प्रकार शिड्यूल दर से अधिक दर लगाकर प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत कराने में रू0 5,94,273.00 (रूपये पांच लाख चौरान्बे हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) की शासकीय क्षति हुयी। उनके द्वारा शासकीय सेवा में अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गयी लापरवाही के कारण 12 ग्रामों के सी0सी0 रोड कार्यों में प्रखण्ड चित्रकूट से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार रू0 5,94,273.00 मात्र की शासकीय धनराशि की क्षति हुई जिसकी धनराशि का 25 प्रतिशत रू0 1,48,568.00 (रूपये एक लाख अड़तालिस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) के लिये उनको उततरदायी पाया गया।

4- इस मध्य श्री नियाज अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 28.04.2018 जो निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,48,568.00 को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट संख्या-000164, दिनांक 27.04.2018 द्वारा जमा कर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों/अभिलेखों को संज्ञान में रखते हुए श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त जो दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गयें है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रह गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय धनराशि रू0 1,48,568.00 राजकोष में जमा कर दिये जाने के द्रष्टिगत उक्त धनराशि को समायोजित मानते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2017/215/92-2-17-66(जांच)/2015, दिनांक 03.02.2017 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-93/2018/1820(1)/92-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanades .up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।